न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:-37 / 2019

टी.सी.एम.एस .संख्या:-2019 / 00095

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. भैरूलाल
2. रामकिशन
3. शंकर

समस्त पिसरान छुट्टा समस्त जातियान माली निवासी ग्राम खिदरखा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलान्टस।

बनाम

1. रामफूल
2. श्यामलाल
3. श्रीलाल
4. शिलाडी

समस्त पिसरान मूल्या जातियान माली निवासी खिदरखा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

5. उपपंजीयक जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।
6. टैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी।

... रेस्पोडेन्टस ।

उपस्थित:-

1. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद इस्लाम खान अधिवक्ता रेस्पो. सं0 01 लगायत 04।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पो0 सं0 06।

ह0/-
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible]
[illegible] संख्या [illegible]/19

निर्णय

1. यह अपील माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड [illegible] [illegible] गंगापुर में वाद [illegible] प्रार्थना पत्र संख्या 25/19 [illegible] में पारित निर्णय दिनांक 15.07.19 के विरुद्ध अंतर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माननीय [illegible] में विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि [illegible] खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर [illegible] बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा [illegible] वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। [illegible] 1/2 हिस्सा रहा है। वादीगण अनुसार प्रतिवादीगण ने भूमि का [illegible] सहमति विभाजन करवा कर 3 बीघा भूमि अपने हिस्से में [illegible] वादीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को [illegible] बाबत यह प्रार्थना पत्र माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया। माननीय अदालत उपखंड अधिकारी गंगापुर सिटी ने दिनांक 15.07.2019 को निर्णय पारित करते हुए वादी का प्रार्थना पत्र खारिज करमा दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्याया [illegible] के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मांगी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खसरा नम्बर [illegible], 1008, 1027, 1028, 1029, 1033, 1035, 1036, 1041, 1057, 1059, [illegible]/1519 [illegible] की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट का हिस्सा है। माननीय अदालत ने खसरा नम्बर 1008/1519 रकबा 0.26 है0 के संबंध में [illegible] है जबकि अपीलांट उक्त खसरा नम्बर में 1/2 के खातेदार है। माननीय अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि अपीलांट द्वारा 9.03 हैक्टयर भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा है जिससे ही स्पष्ट है कि माननीय अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट्स के बीच कोई विधिक तकासमा नहीं हुआ है। उभयपक्ष भूमि को [illegible] रूप से काश्त करते चले आ रहे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर [illegible] अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी का निर्णय अपास्त करने योग्य होने से अपास्त करमाया जावे।

[illegible] अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो अनुतोष टी0आई0 मे मांगा है वही दावे मे मांगा है जिसका निस्तारण उभय पक्षो की साक्ष्य के उपरांत दिया जाना है किन्तु मातहत अदालत ने दावे के अनुतोष को टी0आई0 मे प्रदान कर विधिक भूल की है। विवादित आराजीयात बावजूद अपीलांटस् तथा रेस्पोडेन्टस् की शामलाती की खातेदारी भूमि होने के राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना के विभाजन के भूमि को असमान रूप से खातो मे दर्ज कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के नाम 3 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे ज्यादा अंकित कर दिया हैं। जिससे अपीलांट के हिस्से को भारी क्षति हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी गंगापुर सिटी का निर्णय दिनांक 15.07.19 अपास्त फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने दृष्टांत आर.एल.आर. 1988 पेज 871, डी.एन.जे. 2017 पेज 1247, डी.एन.जे. 2012 पेज 1331, डी.डब्ल्यु.जे. 2012 पेज 443, आर.एल.आर. 1986 पेज 1018, डी.डब्ल्यु.जे.2015 पेज 125, डी.डब्ल्यु एस. 2012 पेज 337 पेश किए।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण के मध्य विवादित आराजीयात का बंटवारा सन 1980 से भी पहले हो चुका है। अपीलांटगण ने इतने वर्षो से कोई कार्यवाही इस मामले नही की तथा अब बदनीयती से रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पना चाहते है, जबकि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण दोनों विवादित आराजीयात के आधे-आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार है यह मातहत अदालत निर्णय में भी इस तथ्य को माना है। मातहत अदालत का निर्णय पूर्ण रूप से विधिवत् हैं। अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को बेवजह प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2017 वाके ग्राम अनुसार खसरा नम्बर 41 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 49 बीघा 8 बिस्वा रामा पुत्र किशन भैरया जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके आधार पर यह [illegible] कि विवादित साविक आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण [illegible] यह तथ्य कि इसके साविक से हाल खसरा नम्बर [illegible] के पश्चात [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

1980 में सहमति से विभाजन कर लिया गया था, मौकिक खसरा नम्बर 85 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा चारागाह भूमि में से 2 बीघा भूमि खसरा नम्बर 231 में से मूल्या के हिस्से में बदलपत्र के अनुसार दर्ज कर दी थी। आराजी खसरा नम्बर 238 में 21 एयर शामलाती मे से केवल प्रार्थीगण बुद्धा के वारिसान का ही कब्जा है। ये सभी तथ्य मूल वाद में तनकियात के आधार पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ही साबित हो सकेंगे। जो अभी अदालत मातहत मे विचाराधीन है।

9. पैरा नंबर 08 के अनुसार विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है जिनके [illegible] अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्व को (1) प्रथम दृष्टया (2) सुविधा का संतुलन (3) अपुरर्णीय क्षति बाबत कोई विवेचन नहीं किया गया है कि किस प्रकार प्रकरण अप्रार्थीगण / रेस्पा0 के पक्ष में है? परन्तु प्रकरण में विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति व कृषि भूमि होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांत **2018(1) आर.आर.टी. 156** के अनुसार यथास्थिति बनाए रखना न्यायोचित है।

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती हैं। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के मुकदमा नं. 25 / 18 बउनवान भैरूलाल बनाम रामधन में पारित निर्णय दिनांक 15.07.19 को अपास्त किया जाता हैं। उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया।

Sd/- 30.1.23
(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:07:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner